भारत सरकार

दिशानिर्देश

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-
क्लस्टर विकास कार्यक्रम

विकास आयुक्त

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

भारत सरकार

दिशानिर्देश

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
www.dcmsme.gov.in

नवम्बर 2010

विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्माण भवन नई दिल्ली-110 108 द्वारा प्रकाशित तथा
तारा आर्ट प्रिंटर्स प्रा. लि., बी-4, हंस भवन, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित

माधव लाल
अपर सचिव एवम्
विकास आयुक्त

MADHAV LAL
Additional Secretary &
Development Commissioner

सत्यमेव जयते
MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मन्त्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

'A' WING, 7TH FLOOR, NIRMAN BHAVAN,
NEW DELHI-110108
Phones : 23061176, Fax : 23062315

04th May 2010

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में '**सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)**' के लिए संशोधित दिशानिर्देश निहित हैं। इसमें हालिया संशोधन शामिल कर लिए गए हैं जिन्होंने योजना को अधिक व्यापक और आकर्षक बना दिया है।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने लगभग दस वर्ष पहले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक मुख्य रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया। तब से क्लस्टर विकास में हमारे अनुभव और योजना के स्वतंत्र मूल्यांकनों के आधार पर दिशानिर्देशों में कई संशोधन किए गए। नवीनतम संशोधनों में कार्यक्रम के मुख्य घटकों के लिए भारत सरकार से उल्लेखनीय रूप से अधिक वित्त पोषण और पूर्व 'एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना' को 'क्लस्टर विकास कार्यक्रम' में सम्मिलित करना शामिल है।

3. संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, सॉफ्ट इंटरवेंशनों (प्रशिक्षण, एक्सपोजर दौरे, विपणन सहायता, क्षमता निर्माण, आदि) के लिए पात्र लागत को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है, जिसमें भारत सरकार इस राशि के 75 प्रतिशत का योगदान करेगी। क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए पात्र लागत को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 70 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के क्लस्टरों और विशेष श्रेणी के राज्यों के क्लस्टरों के लिए 90 प्रतिशत) है। इसी तरह आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं के लिए पात्र लागत, जो पूर्व आईआईडी योजना में 5 करोड़ रुपये थी, को एमएसई-सीडीपी के संशोधित दिशानिर्देशों में बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत का योगदान भारत सरकार का होगा।

4. जबकि क्लस्टरों के लिए वित्तीय सहायता उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दी गई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्लस्टर विकास पहल की सफलता क्लस्टर इकाइयों के समूहों यानि स्पेशल पर्पज व्हीकल्स की गतिशीलता पर निर्भर है, जिसके माध्यम से लाभार्थी भागीदारिता सुनिश्चित की जानी है। चूंकि यह क्लस्टर विकास का मुख्य तत्व है, अनवरत संपर्क, परामर्श और क्षमता निर्माण उपायों के द्वारा राज्य सरकार एजेंसियों की सक्रिय भागीदारिता और प्रतिबद्धता इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, क्लस्टरों में सामान्य सुविधाओं के सृजन और आधारभूत संरचना के उन्नयन/सृजन के लिए दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार भूमि तथा वित्त पोषण सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की जरूरत होगी।

(माधव लाल)

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पेज नं.
	प्रस्तावना	
1.	क्लस्टर की परिभाषा	7
2.	योजना का विकास	7
3.	स्वीकार्य गतिविधियां	7
4.	योजना के उद्देश्य	8
5.	कार्यनीति एवं दृष्टिकोण	8
6.	निदानात्मक अध्ययन	8
7.	सॉफ्ट इंटरवेंशन	9
8.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	10
9.	हार्ड इंटरवेंशन (सीएफसी की स्थापना)	10
10.	अवस्थापना विकास	12
11.	कार्यान्वयन एजेंसियां	13
12.	परियोजना अनुमोदन	13
13.	कार्यक्रम प्रबंधन सेवा प्रदाता (पीएमएस)	15
14.	मानीटरिंग एवम् मूल्यांकन	15
15.	विविध प्रावधान	16
16.	अधिसूचना एवं कार्यालय ज्ञापन	

एमएसई-सीडीपी के दिशानिर्देश

पृष्ठभूमि

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा उनके समूहों की उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण में वृद्धि हेतु क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में अपनाया है। क्लस्टर ऐसे उद्यमों का समूह है जो अभिचिन्हित तथा यथासंभव व्यवहार्य, निकटस्थ क्षेत्र में स्थापित है और एक जैसे उत्पाद/सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। क्लस्टर में उद्यमों की आवश्यक विशेषताएं हैं :

   (क) उत्पादन, गुणवत्ता, नियंत्रण एवं परीक्षण, ऊर्जा खपत, प्रदूषण नियंत्रण आदि की पद्धतियों में समानता अथवा, पूरकता,

   (ख) प्रौद्योगिकी तथा विपणन कार्यनीतियों/पद्धतियों का समान स्तर,

   (ग) क्लस्टर के सदस्यों के बीच संचार माध्यम के लिए चैनल्स,

   (घ) सामान्य चुनौतियां तथा अवसर।

2. अक्तूबर, 2007 में, तत्कालीन क्लस्टर विकास योजना 'लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम' (एसआई-सीडीपी) को 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)' के रूप में पुनः नामित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मौजूदा औद्योगिक अवस्थाना के उन्नयन तथा नए उद्यमों हेतु विकसित स्थल प्रदान कराने के लिए एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना को एमएसई-सीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत एमएसई-सीडीपी योजना संचालित की जा रही है।

3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के यह दिशानिर्देश एसआई-सीडीपी तथा आईआईडी योजनाओं से संबंधित पिछले दिशानिर्देशों के प्रतिस्थापन में जारी किए जाते हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकार्य कार्यकलापों हेतु पद्धति तथा निधियन स्वरूप सम्मिलित है, अर्थात्

   (i) **निदानात्मक अध्ययन रिपोर्टें :** अभिपुष्ट कार्य योजना के साथ क्लस्टर में व्यापार प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना तथा उपचारी उपायों का प्रस्ताव करना।

   (ii) **साफ्ट इंटरवेंशन :** क्लस्टर इकाइयों के लिए तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, प्रदर्शन दौरे, बाजार विकास, विश्वास निर्माण, आदि।

   (iii) **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :** मौजूदा औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र/क्लस्टर में अवस्थापना के उन्नयन हेतु अथवा नवीन औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र के लिए एमएसई इकाइयों तथा/अथवा अवस्थापना विकास परियोजना के क्लस्टर हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए एक तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

   (iv) **हार्ड इंटरवेंशन/सामान्य सुविधा केन्द्र :** साकार सम्पत्तियों का सृजन, जैसे कि परीक्षण सुविधा, अभिकल्प केन्द्र, उत्पादन केन्द्र, एंफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कच्चा माल बैंक/बिक्री डिपो, उत्पाद प्रदर्शन केन्द्र, सूचना केन्द्र, कोई अन्य आवश्यकता आधारित सुविधा।

   (v) **अवस्थापना विकास :** भूमि विकास, जल आपूर्ति, निकासी, विद्युत वितरण, सामान्य केपटिव उपयोग के लिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत, सड़कों का निर्माण, प्रथम उपचार सहायता केन्द्र जैसी सामान्य सुविधाएं, कैन्टीन, नवीन औद्योगिक (बहु-उत्पाद) क्षेत्रों/सम्पदाओं अथवा मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं/क्लस्टरों में आवश्यकता आधारित अवस्थापना सुविधाएं।

तत्कालीन एसआई-सीडीपी (एमएसई-सीडीपी के रूप में पुनः नामित) और समेकित अवस्थापना विकास (आईआईडी) योजनाओं के तहत संस्वीकृत परियोजनाएं भी पूर्ववर्ती अनुमोदनों के अनुसार योजना के तहत जारी वित्तीय सहयोग हेतु पात्र होंगी।

4. **योजना के उद्देश्य :**

(i) प्रौद्योगिकी के सुधार, कौशल एवं गुणवत्ता, बाजार तक पहुंच, पूंजी सुविधा, आदि जैसी सामान्य समस्याओं का समाधान करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की निरंतरता एवं विकास को सहयोग देना।

(ii) स्व-सहायता संघों के गठन, संघों के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य सहयोगी कार्रवाई हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना।

(iii) नवीन/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लस्टरों में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन करना।

(iv) परीक्षण, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो, इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट, पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं, आदि के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना।

5. **कार्यनीति एवं दृष्टिकोण :** भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्रीय गठन, दोनों अर्थों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की विविधता के कारण एमएसई-सीडीपी योजना का उद्देश्य सुपरिभाषित क्लस्टरों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के माध्यम से उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करना है। इससे संसाधनों के खर्च में बचत के साथ-साथ समान उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी। संघों के क्षमता-निर्माण, विशेष उद्देश्य वाले साधनों (एसपीवी) की स्थापना, संघ आदि, जो योजना के अभिन्न भाग हैं, से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम अपने संसाधन जुटा पाएंगे तथा सार्वजनिक संसाधन भी बेहतर ढंग से प्राप्त कर पाएंगे, ऋण प्राप्त कर पाएंगे तथा अपनी विपणन प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कर पाएंगे।

6. **निदानात्मक अध्ययन :** क्लस्टर विकास प्रक्रिया में प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्यकलाप निदानात्मक अध्ययन करना है। किसी क्लस्टर में निदानात्मक अध्ययन आयोजित करने का उद्देश्य क्लस्टर इकाइयों की सभी व्यापार प्रक्रियाओं को जानना है, अर्थात निर्माण प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, खरीद, आउटसोर्सिंग आदि ताकि इनकी शक्ति, कमजोरियों, खतरों तथा अवसरों (एसडब्ल्यूओटी), समस्याओं एवं कठिनाइयों, सुझावों तथा क्लस्टर की इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की सुव्यवस्थित कार्य योजना का पता लगाया जा सके और क्लस्टर को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जा सके। निदानात्मक अध्ययन रिपोर्ट (डीएसआर) एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा यह अध्ययन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अध्ययन में विकसित प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी सुधार, सर्वोत्तम निर्माण पद्धतियां अपनाने, उत्पादों के विपणन, रोजगार सृजन, आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में बताई गई समस्याओं और सुधार हेतु सुझाए गए उपायों के बीच सीधा संबंध होना चाहिए।

क. डीएसआर को प्राथमिक रूप से लक्षित उपयोगकर्त्ताओं द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और अन्य एजेंसियों को केवल रिपोर्टें तैयार करने में सहयोग करना चाहिए। यदि डीएसआर लक्षित उपयोगकर्त्ताओं के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती है तो इन रिपोर्टों पर भली प्रकार से चर्चा की जानी चाहिए तथा लक्षित उपयोगकर्ताओं एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इनकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी एजेंसियों में क्लस्टर विकास में प्रासंगिक विशेषज्ञ होने चाहिए।

ख. आईपीआर, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी), ऊर्जा कुशलता, लीन विनिर्माण, प्रौद्योगिकी बेंचमार्किंग (अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय), बाजार संभावना मूल्यांकन, कौशल उन्नयन/प्रमाणन

पद्धति, अभिकल्पना विकास, अन्य क्लस्टरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, क्लस्टरों का पारस्परिक जोड़, सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता, स्वास्थ्य, व्यापार साक्षरता, उद्यमों तथा उनके सामान्य निकायों द्वारा कार्मिकों के कल्याण, सामाजिक उत्थान, आदि के संबंध में क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं की जांच की जानी चाहिए तथा उसे डीएसआर में शामिल किया जाना चाहिए।

ग. एक क्लस्टर के लिए डीएसआर तैयार करने हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपये का भारत सरकार का अनुदान प्रदान किया जाएगा। एसएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों के लिए 1.00 लाख रुपये का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। क्लस्टर दौरों, आंकड़ों के संकलन, कार्य योजना की वैधता, परामर्शदाता मंगवाने, विशेष अध्ययन (यदि अपेक्षित हो), मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, आदि के लिए व्यय शामिल है। संस्वीकृत 50 प्रतिशत राशि अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद ही जारी की जाएगी।

घ. एक क्लस्टर के लिए डीएसआर को 3 महीने की अवधि के भीतर तैयार किया जाना चाहिए, जब तक कि इसकी समय सीमा का विस्तार विकास आयुक्त (एमएसएमई) के अनुमोदन से न कर दिया जाए।

7. **सॉफ्ट इंटरवेंशन :** इस कार्यक्रम के तहत सॉफ्ट कार्यकलापों में ऐसे कार्यकलाप शामिल होंगे जिनसे सामान्य जागरूकता, काउंसलिंग, प्रोत्साहन एवं विश्वास निर्माण, प्रदर्शन दौरे, निर्यात सहित विपणन, विकास सेमिनारों सहभागिता, आदि सृजित किए जा सकेंगे। इन इंटरवेंशनों से क्लस्टर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की मौजूदा कार्य शैली में सुधार आरंभ करने हेतु आवश्यक सामान्य प्रवृतिमूलक परिवर्तन होते हैं। सॉफ्ट इंटरवेंशन शुरू करने से पहले परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए अभिपुष्ट कार्य योजना, कार्य निष्पादन संकेतकों/मील के पत्थरों सहित निदानात्मक अध्ययन रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार करना आवश्यक है। डीएसआर में शामिल अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कार्यकलाप किए जाते हैं।

क. सॉफ्ट इंटरवेंशनों के प्रदर्शनात्मक प्रभाव को कारगर ढंग से महसूस करने के लिए किसी क्लस्टर में इकाईयों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए परन्तु क्लस्टर विकास कार्यकलापों में सहभागिता करने वाली इकाइयां 25 से कम नहीं होनी चाहिए। तथापि, कठिन एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिए और महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों की पर्याप्त उपस्थिति वाले विशेष उद्यमी वर्गों के लिए इकाइयों की संख्या 20 हो सकती है।

ख. परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपये प्रति क्लस्टर होगी। कार्यकलापों का सांकेतिक ब्योरा **अनुबंध**-1 में दिया गया है। सॉफ्ट इंटरवेशनों के लिए भारत सरकार का अनुदान संस्वीकृत परियोजना लागत राशि का 75 प्रतिशत होगा। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत होगा। परियोजना की लागत को क्लस्टर के परिमाप/कुल उत्पादन के अनुसार किफायती बनाया जाएगा।

ग. क्लस्टर लाभार्थियों की हिस्सेदारी यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए परंतु सॉफ्ट इंटरवेंशनों की कुल लागत के 10 प्रतिशत से कम न हो। राज्य सरकार/अन्य स्टेकहोल्डरों के अंशदान पर गैप फंडिंग के रूप में विचार किया जाएगा।

घ. राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों से यह वचनबद्धता प्राप्त करने के बाद राशि/निधियां जारी की जाएंगी कि क्लस्टर में इंटरवेंशनों की लागत की अपेक्षित हिस्सेदारी का अंशदान क्लस्टर कारकों तथा अन्य संस्थाओं/स्टेक होल्डरों द्वारा किया जाएगा। कार्यान्वयन आयोजना, निधियों की आवश्यकताओं के आधार पर निधियां दो/तीन किश्तों में जारी की जाएंगी।

ङ. सॉफ्ट इंटरवेंशनों की अवधि अधिकतम 18 महीने होगी जब तक कि संचालन समिति के अनुमोदन से इसे बढ़ाया न जाए।

8. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) :** सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाइयों के कलस्टर के लिए तथा/अथवा मौजूदा औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र/क्लस्टर में वर्तमान अवस्थापना के उन्नयन के लिए अथवा नवीन औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र हेतु अवस्थापना विकास परियोजना के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकतम 5.00 लाख रुपये का भारत सरकार का अनुदान प्रदान किया जाएगा। संस्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जाएगा।

क. डीपीआर में संभावित लाभ व हानि का लेखा, संभावित तुलन-पत्र, आदि जैसे बुनियादी सांचों का उपयोग करते हुए आंतरिक पावती पर, ब्रेकईवन अंक, ऋण-सेवा सहभागिता अनुपात, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि जैसे वित्तीय विश्लेषण शामिल होने चाहिए। डीपीआर तैयार करने हेतु सांकेतिक प्रारूप **अनुबंध-2** में दर्शाया गया है।

ख. डीपीआर का मूल्यांकन बैंक (यदि बैंक वित्तपोषण शामिल हैं)/स्वतंत्र तकनीकी परामर्शी संगठन/सिडबी द्वारा किया जाना चाहिए।

9. **हार्ड इंटरवेंशन (सीएफसी की स्थापना) :** कार्यक्रम के तहत हार्ड इंटरवेंशनों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) के रूप में साकार परिसम्पत्तियों का सृजन शामिल होगा, यथा सामान्य उत्पादन/जांच केन्द्र (उत्पादन को संतुलित करने/सुधार करने के लिए जिसे संबंधित इकाइयों द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता), अभिकल्पना केन्द्र, परीक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट संयंत्र, विपणन प्रदर्शन/बिक्री केन्द्र, सामान्य संभार-तंत्र केन्द्र, सामान्य कच्चा माल बैंक/बिक्री डिपो, आदि।

क. भारत सरकार के अनुदान को अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति/जनजाति इकाइयों वाले क्लस्टरों में सीएफसी के लिए 90 प्रतिशत होगा। परियोजना लागत में शामिल है : भूमि की लागत (अधिकतम-परियोजना लागत के 25 प्रतिशत आधार पर), भवन निर्माण की लागत, संचालनपूर्व व्यय, प्रारंभिक व्यय, मशीनरी एवं उपस्कर, विविध सावधि परिसम्पत्तियां, सहयोग अवस्थपना जैसे कि जल आपूर्ति, बिजली तथा कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी।

ख. सीएफसी के लिए भूमि एवं निर्माण की संपूर्ण लागत एसपीवी/संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यदि मौजूदा भूमि एवं भवन स्टेकहोल्डरों द्वारा प्रदान किया जाता है तो भूमि एवं भवन की लागत का निर्णय केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनुमोदित एजेंसी द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। भूमि एवं भवन की लागत को परियोजना के लिए अंशदान हेतु माना जा सकता है। पट्टे पर लिए गए परिसरों में सीएफसी स्थापित किया जा सकता है। तथापि, पट्टा कानूनी रूप से तर्कसम्मत तथा काफी लंबी अवधि (लगभग 15 वर्ष) के लिए होना चाहिए।

ग. प्रस्तावित सीएफसी की स्थापना तथा संचालन से पूर्व एसपीवी का गठन आवश्यक है। एक एसपीवी अपने सदस्यों के बीच सकारात्मक सहयोग के पूर्व अनुभाग के साक्ष्य से एक स्पष्ट कानूनी संस्था (सहकारी सोसायटी, पंजीकृत सोसायटी, न्यास अथवा कोई कम्पनी) है। एसपीवी में सम्मिलन का स्वरूप होना चाहिए जिसमें सुविधा का उपयोग करने हेतु क्लस्टर में संभावित उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए नए सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान होना चाहिए। एसपीवी के अंशदाता सदस्यों के अतिरिक्त, संचालकों को प्रस्तावित सुविधाओं के उपयोगकर्त्ताओं से लिखित वचन बद्धताएं प्राप्त करनी चाहिए ताकि इसके लाभों में और वृद्धि की जा सके। एसपीवी के उप-नियमों में सीडीई/सीडीए का और राज्य सरकार के एक अधिकारी का एसपीवी के सदस्य होने का प्रावधान होना चाहिए।

घ. विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के सदस्यों के रूप में कार्यरत कम से कम 20 एमएसई क्लस्टर इकाइयां सदस्य होनी चाहिए। सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। विशेष मामलों में जहां क्लस्टर का निवेश, प्रौद्योगिकी अथवा लघु परिमाप, आदि इकाइयों की न्यून संख्या के लिए आवश्यक है, एसपीवी के लिए न्यूनतम 10 एमएसई इकाईयों पर विचार किया जा सकता है।

ङ. क्लस्टर लाभार्थियों की हिस्सेदारी यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए परन्तु सीएफसी की कुल लागत के 10 प्रतिशत से कम न हो। राज्य सरकार के अंशदान पर अंतराल निधियन के रूप में विचार किया जाएगा। सभी सहभागी इकाइयां अपने वित्तीय निवेश एवं प्रबंधन के संदर्भ में स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी एकल इकाई के एसपीवी की इक्विटी पूंजी (अथवा समकक्ष पूंजीगत अंशदान) 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

च. विशाल पोषक निर्माण फर्में (चाहे वे सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की हों) क्लस्टर एमएसई उत्पादों के अन्य प्रमुख क्रेता, वाणिज्यिक मशीनरी आपूर्तिकर्त्ता, कच्चा माल, आपूर्त्तिकर्त्ता तथा व्यापार विकास सेवा (बीडीएस) प्रदानकर्ता एसपीवी के लिए अधिकतम 49 प्रतिशत का अंशदान करने की पात्र होंगी बशर्ते एसपीवी का प्रबंधन स्पष्टतया वांछित लाभार्थी एसपीपी के पास बना रहे। एसपीवी धन की कमी, विस्तार, आदि के लिए बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते सरकारी सहायता से सीएफसी में खरीदे गए संयंत्र एवं मशीनरी को भाराक्रांत नहीं किया जाएगा तथा उससे संबंधित पहला अधिकार सरकार का रहेगा।

छ. एसपीवी/राज्य सरकार द्वारा अंशदान अथवा लाभार्थी की हिस्सेदारी अग्रणी देय होगी। भारत सरकार की सहायता जारी करने से पूर्व भूमि, जल तथा विद्युत आपूर्ति, आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं स्थापित हो जानी चाहिए अथवा इस संबंध में पर्याप्त प्रगति हो जानी चाहिए। जहां बैंकीय वित्त शामिल हो उस स्थिति में भारत सरकार की सहायता जारी करने से पूर्व आनुपातिक निधियां जारी करने हेतु संबंधित बैंक की लिखित वचनबद्धता भी आवश्यक होगी।

ज. क्लस्टर में एसपीवी सदस्यों द्वारा एवं अन्य क्लस्टर सदस्यों द्वारा भी सीएफसी का उपयोग किया जा सकता है।

झ. अन्तिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के भीतर सीएफसी का संचालन शुरू हो जाना चाहिए जब तक कि उसे संचालन समिति के अनुमोदन से बढ़ा न दिया जाए।

ञ. किसी भी कारण से संस्वीकृत राशि से अधिक परियोजना लागत में वृद्धि को एसपीवी/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार किसी सीएफसी के संचालन के किसी वित्तीय उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेगी।

ट. सीएफसी की सेवाओं हेतु उपयोगकर्त्ता शुल्क एसपीवी की अभिशासी परिषद द्वारा मौजूदा बाजार कीमतों के आसपास यथा निर्णीत होंगी। एसपीवी सदस्यों को उपयोगकर्त्ता शुल्कों में उचित प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है।

ठ. 15 करोड़ रुपये से अधिक लागत से सीएफसी पर भी एमएसई-सीडीपी के तहत विचार किया जा सकता है। तथापि, भारत सरकार के अनुदान की गणना 15 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की अधिकतम सीमा से की जाएगी।

ड. कार्यान्वयन आयोजना निधियों की आवश्यकता के आधार पर सहायता राशि दो/तीन किश्तों (अंतिम अनुमोदन के बाद) में जारी की जाएगी।

ढ. सीएफसी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा एसपीवी के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। करार का प्रारूप **अनुबंध-3** में दिया गया है।

ण. **महिला उद्यमी संघों द्वारा प्रदर्शनी केन्द्र:** महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के उत्पादों की बिक्री तथा प्रदर्शनी हेतु केन्द्रीय स्थानों पर प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने के लिए महिला उद्यमी संघों को भी परियोजना लागत के 40

प्रतिशत की दर से भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाएगी। सुसज्जा, फर्नीचर, फिटिंग, स्थाई प्रदर्शन की वस्तुओं, विविध परिसम्पत्तियों यथा-जनरेटरों, आदि के लिए भारत सरकार का अंशदान होगा।

10. **अवस्थापना विकास :** योजना के तहत नवीन/मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए विद्युत वितरण नेटवर्क, जल, दूरसंचार, निकासी तथा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं, सड़कों, बैंकों, कच्चा माल, भंडारण तथा विपणन केन्द्रों, सामान्य सेवा सुविधाओं एवं प्रौद्योगिकीय बैकअप सेवाओं जैसे अवस्थापना सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी।

क. इन परियोजनाओं का स्थान निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सहित जिले/खण्ड/तालुका मुख्यालय अथवा किन्हीं अन्य विकास परियोजनाओं के निकट होना चाहिए :-

(i) परियोजना से पूर्ण सामग्री तथा उसके लिए कच्चा माल भिजवाने को सुगम बनाने हेतु रेलवे स्टेशनों/राज्य मुख्य मार्ग से निकटता;

(ii) जल आपूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति के पर्याप्त स्रोत की उपलब्धता। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विद्युत की स्थिति दर्शाई जानी चाहिए;

(iii) दूरसंचार सुविधाएं;

(iv) चुने गए स्थान से पर्यावरण को असामान्य बनाकर किसी प्रकार का वातावरणीय असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए;

(v) परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को अपने निवास स्थान से 8-10 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करनी होगी।

ख. भारत सरकार का अनुदान 10.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं में परियोजना लागत का 80 प्रतिशत होगा। नवीन स्थल विकास हेतु घटकों का ब्यौरा **अनुबंध-4** में दिया गया है। मौजूदा क्लस्टरों के लिए उन्नयन प्रस्ताव वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित होंगे।

ग. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करेंगे। 10.00 करोड़ रुपये (भूमि की लागत को छोड़कर) की अवस्थापना विकास परियोजनाओं के तहत कोई परियोजना शुरू करने के लिए अनुमानित लागत में, केन्द्र सरकार सहायता अनुदान प्रदान करेगी। शेष राशि सिडबी/बैंकों/वितीय संस्थाओं अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इक्विटी या ऋण के रूप में हो सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें 10.00 करोड़ रूपये से अधिक की लागत या लागत में किसी प्रकार की वृद्धि को स्वयं वहन करेगी।

घ. परियोजना का अंतिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए जब तक कि संचालन समिति के अनुमोदन से इसे बढ़ा न दिया जाए।

ङ. एक जिले में द्वितीय/उत्तरवर्ती परियोजना पर तभी विचार किया जाएगा जब पूर्ववर्ती परियोजनाओं में विकसित स्थलों का आबंटन हो जाए।

च. निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर अथवा समान हिस्सेदारी के आधार पर जारी की जाएगी (कार्यान्वयन एजेंसी अपना हिस्सा परियोजना के नाम में समर्पित बैंक लेखे में जमा कराएगी तथा एक बैंक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी)। पहली किश्त केवल 2 करोड़ रुपये तक सीमित है।

छ. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का समेकन करने तथा मॉनीटरिंग करने के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित कर सकती हैं जिनमें विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय, सिडबी, प्रमुख बैंक, आदि के प्रतिनिधि होंगे।

ज. **अन्य शर्तें :**

(i) इस योजना के तहत शेडों/ढांचों का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उद्यमियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार शेडों/ढांचों का निर्माण किया जाएगा।

(ii) जल, बिजली, संचार जैसी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं सहित तथा मंडियों की निकटता वाली उपयुक्त भूमि का चयन करना चाहिए।

(iii) कृषि एवं उद्योग के बीच अगड़े एवं पिछड़े संपर्क सूत्र होने चाहिए। स्थानीय संसाधनों दोनों-मानवीय तथा सामग्री का उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(iv) तैयार नक्शे (लेआउट प्लान) में किसी प्रकार के परिवर्तन को विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) द्वारा अनुमोदित कराना चाहिए।

11. कार्यान्वयन एजेंसियां :

कार्यकलाप	कार्यान्वयन एजेंसी
निदानात्मक अध्ययन सॉफ्ट इंटरवेंशन सीएफसी की स्थापना	• एमएसएमई मंत्रालय के कार्यालय • राज्य सरकारों के कार्यालय • एमएसई क्षेत्र के विकास से संबद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं • एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था/एजेंसी
अवस्थापना विकास परियोजनाएं	ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक अच्छे रिकार्ड रखने वाली किसी उपयुक्त राज्य सरकार एजेंसी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें

12. परियोजना अनुमोदन : योजना के तहत एमएसई-सीडीपी की संचालन समिति द्वारा प्रस्तावों पर अनुमोदनार्थ विचार करेगी। संचालन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

(i) सचिव (एमएसएमई) अध्यक्ष

(ii) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)

(iii) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

(iv) सलाहकार (वीएसआई), योजना आयोग

(v) संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय

(vi) सिडबी का प्रतिनिधि

(vii) अपर विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/निदेशक-योजना प्रभारी-सदस्य सचिव

(viii) संबंधित उद्योग संघ (ओं) का प्रतिनिधि

(ix) विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि (वित्तीय संस्थाएं, कार्यक्रम प्रबंधन सेवा प्रदाता, मूल्यांकन एजेंसी का प्रतिनिधि, आदि)

12.1 डीएसआर, डीपीआर तथा सॉफ्ट इंटरवेंशनों संबंधी प्रस्तावों को केवल एक चरण में ही अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

12.2 हार्ड इंटरवेंशनों (सीएफसी) तथा अवस्थापना विकास परियोजनाओं को दो चरणों में अनुमोदन प्रदान किया जाएगा: सिद्धांत रूप से अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन।

12.2.1 **सिद्धांत रूप से अनुमोदन :** सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। तथापि, एमएसएमई मंत्रालय की संस्थाएं सॉफ्ट इंटरवेंशनों/डीएसआर/डीपीआर के लिए सीधे विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को प्रस्ताव भेज सकती है। अवस्थापना विकास परियोजनाओं/तत्संबंधी डीपीआर के मामले में राज्य सरकार विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय उन पर अनुमोदनार्थ विचार करने से पूर्व प्रस्तावों की जांच करने के लिए परियोजना प्रबंधन सेवा प्रदाताओं (पीएमएस) की सहायता ले सकता है। सिद्धांत रूप से अनुमोदन 6 महीने की अवधि तक वैध रहेगा और इससे पहले यह अपेक्षा की जाती है कि परियोजना अंतिम अनुमोदन के लिए तैयार हो जाएगी। यदि अंतिम अनुमोदन 6 महीने में प्राप्त नहीं होता तो यह स्वत: समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इसे संचालन समिति द्वारा विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।

12.2.2 **अंतिम अनुमोदन :** सिद्धांत रूप से अनुमोदित परियोजनाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा :

(i) **सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)**

क. एसपीवी का गठन तथा आपस में विश्वास कायम होना। एसपीवी की भूमिका तथा कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

ख. भूमि का अधिग्रहण तथा एसपीवी के नाम पर पंजीकरण।

ग. मूल्यांकित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

घ. एसपीवी के शेयर धारण का ब्यौरा।

ङ. शेडयूल्ड 'ए' बैंक में परियोजना विशिष्ट लेखा।

(ii) **अवस्थापना विकास परियोजनाएं**

क. अनुमोदित ले-आउट प्लान सहित मूल्यांकन डीपीआर प्रस्तुत करना।

ख. जल, बिजली, संचार आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित अपेक्षित परिमाप की उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की पुष्टि। भूमि का स्पष्ट शीर्षक सहित तथा क्षेत्रीय विनियमों का पालन करते हुए और गैर-कृषि अंतरण आदि सहित कार्यान्वयन एजेंसी के नाम पर अधिग्रहण होना चाहिए।

ग. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का समेकन तथा मॉनीटरिंग हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन।

13. **कार्यक्रम प्रबंधन सेवा प्रदाता (पीएमएस) :** असंगठित तथा सूक्ष्म/लघु स्वरूप के उद्यमों तथा अति व्यापक परियोजना विकास प्रयासों, विशेष रूप से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए, पर विचार करते हुए विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) संचालन समिति के अनुमोदन से विभिन्न प्रस्तावों के गठन को सुगम बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए सक्षम कार्यक्रम प्रबंधन सेवा प्रदाता (पी.एम.एस.) की नियुक्ति कर सकता है। पी.एम.एस. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) तथा उद्योग/राज्य सरकार के बीच संपर्क का काम करेंगे और योजना का कुशल तथा शीघ्र कार्यान्वयन में सहायता करेंगे। विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय पीएमएस का एक पेनल अभिचिन्हित करेगा, चयन करेगा। पीएमएस सीधे विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को रिपोर्ट करेगा।

13.1 पीएमएस के लिए सेवा शुल्कों का भुगतान योजना की अनुमोदित बजट कुल परिव्यय में से किया जाएगा।

13.2 पीएमएस की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी :

क. योजना के बारे में सुग्राह्यता तथा जागरूकता पैदा करना।

ख. सॉफ्ट एवं हार्ड इंटरवेंशन की आवश्यकता को अभिचिन्हित करना तथा उपयुक्त प्रस्तावों का अभिनिर्धारण।

ग. परियोजनाओं की संकल्पना करने तथा विस्तृत प्रस्ताव/डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसियों/राज्य सरकारों/उद्योग संघों/उद्यमी वर्गों/अन्य स्टेकहोल्डरों की सहायता करना।

घ. परियोजना विशिष्ट एसपीवी की स्थापना तथा संरचना में अभिचिन्हित उद्यमियों को सहायता करना।

ङ. सिद्धांत रूप से तथा अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की जांच करने में विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय की सहायता करना।

च. विभिन्न सेवाओं के लिए एजेंसियों/विशेषज्ञों के चयन में और सीएफसी का उपयुक्त संचालनात्मक कार्य ढांचा तैयार करने में एसपीवी की सहायता करना।

छ. परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक मॉनीटरिंग तथा निधियों के संवितरण में सहायता करना।

ज. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को आवश्यकता आधारित परामर्शी सेवाएं प्रदान करना तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति निर्धारण में सहायता करना।

14. मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

14.1 विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय परियोजनाओं के समेकन तथा निरीक्षण के लिए शीर्ष निकाय होगा।

14.2 राज्य सरकारों, उनके स्वायत्त निकायों तथा एसपीवी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के मामले में परियोजनाओं की मॉनीटरिंग का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होगा। वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्यकलापों का संतोषप्रद एवं समयबद्ध कार्यान्वयन होगा। प्रत्येक राज्य सरकार से यह अपेक्षा होगी कि वे उद्योग निदेशक अथवा सचिव की अध्यक्षता वाली परियोजना संचालन समिति का गठन करेंगे जिससे इस उद्देश्यार्थ सभी स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

14.3 उपर्युक्त की भांति शामिल न की गई क्लस्टर विकास परियोजनाओं के मामले में विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय अपने क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों की सहायता से अथवा उनके माध्यम से सीधे ही प्रगति की मानीटरी करेगा।

15. विविध प्रावधान

15.1 **मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन खर्चे :** इस समय 400 से अधिक क्लस्टरों में मध्यस्थता की जा रही है। मुख्यत: विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के लिए कुल स्वीकृत बजट लागतों के 2 प्रतिशत की दर से निम्न परियोजना प्रबोधन एवं प्रबंधन हेतु उपयोग किया जाएगा :

(i) पीएमएस/विशेषज्ञ/डीएसआर/डीपीआर तैयार करने के लिए सुविज्ञ अभिकरणों, क्लस्टर विकास इत्यादि में संलग्न अभिकरणों के पैनल तैयार करना।

(ii) डाटा प्रबंधन, विशिष्ट रिपोर्टों तथा प्रबोधन एवं प्रबंधन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर के विकास हेतु

(iii) एमएसई-सीडीपी संबंधी दूर-संचार तथा लेखन-सामग्री खर्चों हेतु

(iv) एमएसई-सीडीपी गतिविधियों के प्रबोधन हेतु विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय में क्लस्टर कक्ष अधिकारियों के यात्रा/उद्घाटन दौरों हेतु

(v) संचालन समिति जैसी बैठकों के आयोजन हेतु

(vi) फोटोकॉपीयर जैसे स्वचालित कार्यालय उपकरणों की खरीद, रख-रखाव हेतु

(vii) डाटा प्रबंधन सेवाओं की आउट-सोर्सिंग हेतु

15.2 **राष्ट्रीय स्तरीय विविध गतिविधियां :** (प्रशिक्षण/राष्ट्रीय वर्कशाप आयोजित करने/क्लस्टर संबंधी सामग्री के प्रकाशन, अध्ययन सामग्री तैयार करने, मुख्यालय से अधिकारियों की प्रतिस्थापना, विशेष अध्ययन इत्यादि जैसी) गतिविधियां, सामर्थी संसाधन केन्द्रों की स्थापना आदि जो कि क्लस्टर विशिष्ट कार्य-योजनाओं के भाग नहीं है, परन्तु जो स्कीम के संवर्द्धन से सीधे संबंधित हैं और एक वर्ष विशेष में कुल क्लस्टर विकास 5 प्रतिशत के अधीन संचालन समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं, को भी अनुमति दी जाएगी। जब कभी भी अपेक्षित होगा, कार्यान्वयन अभिकरणों, एसपीवी तथा अन्य स्टेक होल्डरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

15.3 **अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से क्लस्टर विकास :** यूएनआईडीओ, जीटीजेड, डीएफआईडी इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से क्लस्टर विकास हेतु मध्यस्थता मानक/प्रस्ताव फार्मेट एमएसई-सीडीपी के अनुरूप नहीं होते। तथापित कई बार राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर क्लस्टरों के विकास हेतु आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सुविज्ञता प्राप्त ऐसे अभिकरणों के साथ समझौता करना अपेक्षित होता है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए अंशदान पर विनिर्दिष्ट मानकों के शिथिलन पर संचालन समिति द्वारा विचार किया जाए।

अनुबंध-1

प्रस्तावित बजट (निर्देशात्मक) और सॉफ्ट मध्यस्थता के लिए वित्त साधन
(18 माह की अवधि में विस्तारित, प्रति क्लस्टर) (लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	अधिकतम अनुमानित व्यय	वित्त के साधन		
			भारत सरकार की सहायता	राज्य सरकार और/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम संस्थान	एसपीवी/ निजी हिस्सेदार
1.	विश्वास बनाना (क्लस्टर कर्त्ताओं के लिए बैठकें), सेमिनार आयोजित करना) 4 बैठकें	0.80	90 प्रतिशत तक		
2.	एमएसएमई मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों, अन्य विकासीय अभिकरणों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि की विभिन्न स्कीमों का जागरूकता निर्माण (2 कार्यक्रम)	0.80	90 प्रतिशत तक		
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/वर्कशाप अन्य क्लस्टरों के अध्ययन दौरे आयोजित करना/प्रौद्योगिकी/उपकरणों का प्रदर्शन। सुविज्ञता शुल्क, यात्रा, आवास और भोजन व्यवस्था सहित (एक लाख रुपये की दर से कुल 6 कार्यक्रमों तक)	6.00	80 प्रतिशत तक		
4.	क्षमता निर्माण (उद्घाटन दौरे, बैंच मार्किंग, ब्रोशर तैयार करना, वेबसाइट शुरू करना, प्रारंभिक भर्ती लागत इत्यादि)	1.00	60 प्रतिशत तक		
5.	बीडीएस प्रदाताओं की सेवाएं (7000 रु. प्रतिदिन अधिकतम 20 व्यक्ति-दिन + ग्रुप ए अधिकारी की पात्रता अनुसार यात्रा भत्ता आवास / भोजन व्यवस्था अधिकारी की हकदारी की दर से)	3.00	90 प्रतिशत तक		

6.	(क्लस्टरों में उद्यमियों के लिए) एक विदेशी मेले में भागीदारी। एक मेला प्रति क्लस्टर	5.00	50 प्रतिशत		
7.	विविध विकासीय लागतें (अनुवाद, प्रकाशन-एकमुश्त)	1.50	80 प्रतिशत तक		
8.	इन-हाउस संस्थागत स्टाफ: क) सीडीए (यदि अपेक्षित हो) 30000 रु. प्रतिमाह की दर पर 18 माह	5.40	50 प्रतिशत तक		
	ख) स्थानीय आयोजन/एनडीए 18 माह का 20000 रु. प्रति माह की दर से	3.60	50 प्रतिशत तक		
9.	इन-हाउस स्टाफ के क्लस्टर में स्थानीय यात्रा और दूर-संचार खर्चे (5000 रु. प्रतिमाह)	0.90	100 प्रतिशत तक		
10.	स्थानीय खरीद (कम्प्यूटर, टेलीफोन, फैक्स-एकमुश्त, वर्षवार) यदि अपेक्षित हो	0.75	100 प्रतिशत तक		
11.	क्लस्टर के उद्यमियों के साथ-साथ सीडीई/सीडीए/क्लस्टर अधिकारियों की भागीदारी किफायती/पर्यटक मेला + टिकट + यात्रा भत्ता	1.25	100 प्रतिशत		

टिप्पणी : परियोजना लागत के लिए अधिकतम सीमा प्रति क्लस्टर 25.00 लाख रु. होगी। समग्र निधियन ढांचा पैरा 7 बी में दिए गए ब्यौरों से निर्देशित होगा।

- कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात, बजट के अंतर्गत ही उपशीर्षों में, निदेशक, एमएसएमई-डीआई/विकास आयुक्त (एमएसएमई) की अनुमति से, अनुमोदित राशि के 25 प्रतिशत तक परिवर्तन किया जा सकता है।
- *ऊपर उल्लिखित गतिविधियां सभी क्लस्टरों में अपेक्षित नहीं होंगी। वास्तविक कार्य-योजना और बजट क्लस्टर की आवश्यकताओं के आधार पर और क्लस्टर लाभार्थियों/प्रयोक्ता निकाय के निकट संपर्क व परामर्श से तैयार की जानी चाहिए।

अनुबंध-2

सीएफसी के लिए विस्तृत प्रस्ताव का प्रारूप

1. मूल ब्यौरे/प्रलेखन

(i) कलस्टर का नाम और स्थल

(ii) गतिविधि और उत्पादों की प्रकृति

(iii) इकाइयों की (संस्थापित क्षमता के रूप में भी) संख्या और आकार

(iv) निवेश के मानक (निवल, स्थिर और महत्वपूर्ण प्रचलित परिसंपत्तियों के रूप में भी)

(v) गत पांच वर्षों में उत्पादन का मूल्य सहित निर्यात उत्पादन, यदि कोई हो, (खंड-वार विभिन्न उद्यम)

(vi) प्रस्तावित मध्यस्थता के पश्चात क्लस्टर का प्रायोजित निष्पादन। (उत्पादन, निर्यात/घरेलू बिक्री एवं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार इत्यादि के रूप में भी)

(vii) नैदानिक अध्ययन/तुलनात्मक लाभ बैंचमार्क सर्वेक्षण (प्रमुख निष्कर्ष)

(viii) चिन्हित कमियों की जानकारी (जैसे कि अपर्याप्त संग्रहण सुविधा, अल्प जांच और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा) मदवार लागत के ब्यौरे।

(ix) कार्यान्वयन अनुसूची; एसपीवी का गठन, जैसेकि निगमीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति, संघ के अनुच्छेद तथा पणधारियों के साथ करारनामा।

(x) परिसंपत्तियों के संपोषण के लिए राजस्व सृजन प्रक्रिया (लगाए जाने वाले सेवा/प्रयोक्ता की दरें, कोई और विनिर्दिष्ट प्रभार)

(xi) परियोजना विशिष्टताएं-परियोजना की कुल लागत, क्लस्टर उद्यमियों/पणधारियों से अंशदान, निजी उद्यमियों द्वारा औसत अंशदान,-एमएसई/सीडीपी के तहत अनुदान-सहायता, अवधि-ऋण, ऋण-इक्विटी अनुपात, भुगतान अनुसूची तथा आकलित ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), वार्षिक अनुमानित आय, व्यय, प्रचालनों के प्रत्याशित/अधिकतम स्तरों पर सकल और निवल लाभ, ब्रेक-इवन/आर्वतन की आंतरिक दर (आईआरआर) गणना, पेबैक अवधि, इत्यादि।

(xii) बैंक से ऋण की सैद्धान्तिक स्वीकृति, यदि लागू हो।

(xiii) एसपीवी सदस्यों द्वारा अनुसारक सहयोगी प्रयासों के पूर्व रिकार्डों को सहायक पत्राचार के साथ से दर्शाए जाने की आवश्यकता है।

(xiv) कलस्टर में सीएफसी के एसपीवी सदस्यों तथा अन्यों द्वारा भी उपयोग किए जाएं। तथापि एसपीवी सदस्यों की क्षमता संस्थापित क्षमता की न्यूनतम 60 प्रतिशत उपयोग करने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

2. डीपीआर के तत्व

2.1 संयंत्र और मशीनरी

(क) संयंत्र और मशीनरी की तालिका

क्रम सं.	संयंत्र और मशीनरी के विवरण	सं	बिजली की आवश्यकता (एचपी/कि.वा.)	एफओआर मूल्य (रु. में)	प्रस्तावित आपूर्तिकर्त्ता का नाम	डिलीवरी अनुसूची (माहवार)

टिप्पणी : लागतों अथवा वास्तविक खर्चों में केन्द्रीय बिक्री कर, पैकिंग और प्रेषण प्रभार (2 प्रतिशत), पारगमन बीमा (1 प्रतिशत) तथा वहन-शुल्क (2 प्रतिशत), जोड़ें।

(ख) एकल पारी आधार पर संयंत्र और मशीनरी की क्षमता

(ग) उत्पादन ढांचा

2.2 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर कच्चे माल तथा उपभोग्य वस्तुओं की वार्षिक आवश्यकता

क्रम सं	कच्चे माल का ब्यौरा	विनिर्धारण/स्वदेशी/आयातित	पूर्ण क्षमता में अपेक्षित मात्रा	इकाई मूल्य (रूपये)	कुल मूल्य (रूपये)

2.3 पूर्ण क्षमता उपयोग पर उपयोगिताएं और सेवाएं

क्रम सं.	मशीनरी का विवरण	कि.वा.	प्रति माह के कार्य घंटों की संख्या	किलो वाट./माह	रु./किलो वाट. घंटे	कुल

(क) वाणिज्यिक/घरेलू प्रयोजानार्थ बिजली की आवश्यकता

(ख) पानी

(ग) गैस/ऑयल/अन्य उपयोगिताएं

2.4 स्थल विकास और भवन निर्माण

विवरण	मात्रा/सं.	दर	लागत
(i) भू लागत			
(ii) भूमि की विकास लागत			
(iii) चारदीवारी की लागत			
(iv) फैब्रीकेटेड गेट व ग्रिलों की लागत			
(v) शेड की लागत			
(vi) प्रयोगशाला की लागत			
(vii) अन्य कंक्रीट निर्माण			
(ix) जल टैंक/ऊपरी जल टैंक			
योग			

2.5 संगठनात्मक व्यवस्था और जनशक्ति आवश्यकता

क्रम सं.	श्रेणी/पदनाम	व्यक्तियों की संख्या	वेतन प्रतिमाह (रुपये)	कुल वेतन (प्रतिमाह)

टिप्पणी : सीमांत लाभों के लिए 25 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि जोड़ें

2.6 परियोजना लागत

	लागत के विवरण	राशि (रुपये)
(i)	भू एवं स्थल विकास	
(ii)	निर्माण	
(iii)	संयंत्र एवं मशीनरी (संयंत्र एवं मशीनरी की लागत, 10 प्रतिशत संस्थापना, विद्युतीकरण तथा चालू करना)	
(iv)	विविध स्थिर परिसंपत्तियां (फिक्सचर्ज, फर्नीचर, अग्नि शमन उपकरण, प्राथमिक सहायता उपकरण, बैकअप विद्युत आपूर्ति इत्यादि)	
(v)	प्रारंभिक खर्चे (नैदानिक अध्ययन, डीपीआर, विधिक एवं प्रशासनिक खर्चे, टेलीफोन, स्टेशनरी इत्यादि)	
(vi)	पूर्व प्रचालन खर्चे (संस्थापना, यात्रा, ऋण पर ब्याज, निर्माण अवधि के दौरान प्रतिबद्ध प्रभार, प्रारंभिक खर्चे इत्यादि)	
(vii)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान (निर्माण पर 2 प्रतिशत तथा संयंत्र एवं मशीनरी पर 5 प्रतिशत	
(viii)	कार्यगत पूंजी के लिए मार्जिन मनी	
	कुल	

2.7 वित्त के साधन

क्रम सं.	अभिकरण	राशि (लाख रु. में)	परियोजना लागत का प्रतिशत
1.	एसपीवी		
2.	राज्य सरकार		
3.	भारत सरकार		
4.	बैंक ऋण		
5.	अन्य		
	कुल		

2.8 कार्यगत पूंजी और मार्जिन मनी (वर्षवार वास्तविक क्षमता उपयोग)

क्रम सं.	विवरण	महीनों की संख्या	मार्जिन	क्षमता उपयोग के अनुसार		
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	कच्चा माल और उपभोज्य					
2.	प्रयोज्यताएं	1				
3.	कार्यगत खर्चे (जनशक्ति के वेतन)	1				
4.	प्रक्रियाधीन कार्य (कच्चे माल की लागत, वास्तविक उत्पादन पर यूटिलिटी एवं वेतन)					
5.	तैयार माल का स्टॉक (कच्चे माल का मूल्य, प्रयोज्यता, वेतन)					
6.	प्राप्य बिल (बिक्री मूल्य)					
	कुल					

2.9 उत्पादन की लागत (तालिकाबद्ध रूप में प्रचालन के 10 वर्षों के लिए अनुमानित)

(i) कच्चा माल और उपभोज्य
(ii) प्रयोज्यताएं
(iii) मजदूरी और वेतन
(iv) मरम्मत और रख-रखाव
(v) बीमा
(vi) प्रशासनिक एवं फैक्टरी के ऊपरी खर्चे
(vii) बिक्री खर्चे

2.10 लाभप्रदता का आकलन (तालिकाबद्ध रूप में प्रचालन के 10 वर्षों के लिए अनुमानित)

(i) संस्थापित क्षमता
(ii) कार्यदिवसों की संख्या (एकल पारी आधार पर)
(iii) क्षमता उपयोगिता
(iv) उत्पादन (एक पारी में)
(v) बिक्री प्राप्ति
(vi) उत्पादन की लागत
(vii) सकल लाभ [(v)-(vi)]
(viii) वित्तीय खर्चे

(a) बैंक ऋणों पर ब्याज

(ix) लिखित मूल्य प्रक्रिया पर अवमूल्यन (स्थिर परिसंपत्तियों पर विभिन्न श्रेणियों के लिए लगाई जाने वाली अलग सूचियों के अनुसार)

(x) तैयारी के खर्चे जो बट्टे खाते में नहीं डाले गए

(xi) प्रचालन लाभ [(vii)-{(viii)+(ix)+x)}]

(xii) अलग अनुसूची के द्वारा कर

(xiii) टैक्स के बाद लाभ [(xi)-(xii)]

(xiv) उपलब्ध अधिशेष [(xiii)+(ix)]

2.11 नकद प्रवाह विवरणी (तालिकाबद्ध रूप में 10 वर्षों के लिए अनुमानित)

(क) निधि के स्रोत :

(a) सकल लाभ (अवमूल्यन घटा कर)

(b) अवधि ऋण

(c) सब्सिडी/अनुदान

(d) प्रर्वत्तक का अंशदान

(e) बैंक ऋण में वृद्धि

(f) अवूमूल्यन

(ख) निधियों का निपटान :

(a) प्रारंभिक एवं पूर्व-प्रचालन खर्चे

(b) पूंजीगत खर्च

(c) कार्यगत पूंजी में वृद्धि

(d) अवधि ऋण पर ब्याज

(e) बैंक ऋणों पर ब्याज

(f) अवधि ऋण में ह्रास

(g) कर

(ग) हाथ में अथवा बैंक में अथशेष {(A)-(B) का कुल योग}

(घ) निवल अधिशेष/घाटा

(ड़) हाथ में अथवा बैंक में नकदी का अंतशेष

2.12 ऋण सेवा कवरेज अनुपात (10 वर्षों के लिए अनुमानित)

$$\text{डीएससीआर} = \frac{\text{निवल लाभ + ब्याज (टीएल) + अवमूल्यन}}{\text{किश्त (टीएल) + ब्याज (टीएल)}}$$

2.13 तुल्यपत्र और लाभ/हानि खाता (10 वर्षों के लिए अवमूल्यन)

2.14 ब्रेक-इवन बिंदु $= \frac{\text{स्थिर लागत}}{\text{अंशदान (बिक्री परिवर्ती लागत)}}$

3. वाणिज्यिक व्यवहार्यता :

परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित वित्तीय मूल्य निर्धारण साधन उपयोग किए जाएंगे।

(i) **नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) :** औसत वार्षिक लाभ आकलित करने के लिए परियोजना की अपनी पूर्ण परियोजना वय में सृजित कुल लाभ का औसत लिया जाएगा। निवेश के लिए सरल सुग्राह्य नियम यह है कि लाभ (अनुदान सहायता का लाभ को सम्मिलित करते हुए) नियोजित पूंजी के ब्याज से कहीं अधिक हो। 25 प्रतिशत के बाहुल्य में लाभ अपेक्षित है।

(ii) **ऋण सेवा कवरेज अनुपात :** भुगतान अवधि के दौरान सुग्राह्यता नियम 3:1 का संचयी डीएससीआर होगा।

(iii) **ब्रेक-इवन (बीई) विश्लेषण :** ब्रेक-इवन बिंदु संस्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

(iv) **संवेदनशीलता विश्लेषण :** उपभोक्ता शुल्क के 5-10 प्रतिशत गिरावट अथवा 10-20 प्रतिशत तक क्षमता उपयोग में गिरावट के साथ सभी प्रमुख वित्तीय मानदण्डों/संकेतकों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण किया जाएगा।

(v) **निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) :** परियोजना के निवल वर्तमान मूल्य सकारात्मक होना चाहिए तथा आंतरिक वापसी दर 10 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। एनपीवी के आकलन के लिए स्वीकार्य छूट की दर 10 प्रतिशत होगी। परियोजना अवधि को अधिकतम 10 वर्ष समझा जा सकता है। इस उद्देश्यार्थ परियोजना अवधि तकनीकी विशेषज्ञ/संस्था के विचार करने के लिए सिफारिश आवश्यक है।

अनुबंध-3

एमएसई-सीडीपी के तहत विशेष प्रायोजन साधनन (एसपीवी), राज्य सरकार तथा भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार के लिए प्रारूप

यह करार (1) भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त विकास आयुक्त/विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, सू.ल.म.उ. मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक के माध्यम से तथा उसके प्रतिनिधित्व कर रहे (इसके बाद उनका उल्लेख 'भारत सरकार' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), (2).....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के राज्यपाल/उपराज्यपाल जो.....सचिव (उद्योग), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से तथा उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं (इसके बाद उन्हें 'राज्य सरकार' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और (3) विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी), जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रबंध..... में है। निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (इसके बाद इनका उल्लेख 'एसपीवी' के रूप में किया जाएगा) में स्थित है, के बीच.....20.....के.....दिन किया गया।

जबकि (यह कि) भारत सरकार ने "सूक्ष्म और लघु उद्यमों-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसएसई-सीडीपी)" के नाम से एक स्कीम शुरू की है जिसका लक्ष्य देश में (लघु उद्योग सेवा और व्यापार हस्तियों सहित) सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा उनके समुच्चयों का क्षमता निर्धारण करना है।

तथा यह कि अन्य बातों के साथ-साथ एसपीवी का सृजन एवं गठन एक भागीदार फर्म/ट्रस्ट/सोसाइटी/सहकारी सोसायटी/कम्पनी के रूप में किया गया है जो.....पर एक सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) का सृजन, स्थापना, चालू तथा रख-रखाव करेगा, ताकि वह इसके सदस्यों और उस उद्योग में लगी अथवा उसी उद्योग में उभरने वाली अन्य इकाईयों अथवा.....क्लस्टर के.....में व्यवसायों के उपयोग और लाभ के लिए कार्य करें।

तथा यह कि एसपीवी ने एसएसई-सीडीपी के तहत भारत सरकार के अनुमोदनार्थ एक परियोजना रिपोर्ट दर्ज की है।

तथा यह कि भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं..... दिनांक..... (अथवा जारी किए जाने वाले पत्र) में उल्लिखित शर्तों पर एसपीवी द्वारा दर्ज की गई परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है, जो इस करार के एक अंश (भाग) के रूप में मानी जाएगी तथा राज्य सरकार सीएफसी की स्थापना लागत की ओर अंशदान करने के लिए सहमत हो गई है।

तथा यह कि पार्टियों को उनके संबंधित दायित्वों को और अनुबंधित करने के लिए तथा क्लस्टर में उद्यमों द्वारा सीएफसी के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पार्टियां एक करार करने की इच्छुक हैं।

अब यह करार निम्न प्रकार से उल्लिखित है :

1. एसपीवी भू-खंड पर, जो कि सभी ऋण भारों और प्रभारों से मुक्त हो, सीएफसी स्थापित करेगा।
2. एसपीवी स्वीकृति पत्र में दी गई, सीमा तक तथा रूप में, सीएफसी की स्थापना लागत की ओर अंशदान करेगा।
3. एसपवी द्वारा किए गए अंशदान के संतोषजनक प्रूफ के पश्चात भारत सरकार और राज्य सरकार स्वीकृति पत्र में दिए गए समय अनुसार तथा उसके अनुरूप ही, सीएफसी की स्थापना लागत की ओर क्रमशः अपना अंशदान करेंगी।
4. एसपीवी द्वारा सिविल निर्माण कार्यों, यदि कोई हों, सहित सीएफसी की स्थापना, स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर अथवा विलम्ब अथवा अनुदान के कारणों पर अपनी संतुष्टि हो जाने पर भारत सरकार द्वारा अनुमत विस्तारित समय के भीतर की जाएगी।

5. एसएफसी के दिनोंदिन प्रचालन के लिए एसपीवी पूर्णत: उत्तरदायी होगा। सीएफसी के प्रचालन का उद्देश्य क्लस्टर में उद्यमों को उनके सभी प्रचालन खर्चों, मूल्य-ह्रास तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना/विस्तार हेतु पर्याप्त आय सृजित करने के साथ-साथ वहनीय लागत पर उन्हें सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है।

6. एसपीवी, राज्य सरकार अथवा लाभार्थियों द्वारा किए गए.....अंशदान के बाद ही भारत सरकार द्वारा निधियां जारी की जाएंगी।

7. भारत सरकार को अपने अंश (हिस्से) की निधियां जारी करने के लिए एप्रोच करने से पूर्व एसपीवी/कार्यान्वयन अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा कि सीएफसी के लिए जल व बिजली की आपूर्ति सहित भूमि के प्रावधान संबंधी; सभी आवश्यक आधारभूत संरचना कार्य और निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं।

8. भारत सरकार अनुदान का लंबित होने पर, निधियों को इस उद्देश्य के लिए सृजित विशिष्ट समर्पित लेखे में रखा जाएगा। अनुपयुक्त निधियों पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को इस स्कीम के तहत भावी भविष्य में जारी करने वाली निधियों में से दूसरी गणना कर ली जाएगी।

9. भारत सरकार के पास निधियों से प्राप्त की गई परिसंपत्तियों की भौतिक जांच करने अथवा जारी की गई निधियों के समुचित उपयोग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक समझी गई किसी भी पूछताछ (इंक्वायरी) प्रारंभ करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10. एसपीवी अनुदान-सहायता के रूप में जारी की गई राशियों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा पूर्णत: सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

11. राज्य सरकार परियोजना के पर्वेक्षण व प्रगति के मूल्यांकन के लिए अलग से सुविधाप्रदायता का कार्य करेगी। राज्य सरकार, भारत सस्कार को सीएफसी स्थापना अथवा प्रचालन की स्थिति के बारे में भी सूचित करेगी तथा यदि इसके प्रबंधन अथवा अन्य प्रकार से इसमें कोई भी असंगति, यदि कोई हो, तो उनके बारे में भी भारत सरकार को सूचित करेगी।

12. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की अनुदान सहायता से सीएफसी के प्रयोजनार्थ प्रापण किए गए सभी संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर्स अथवा उपस्करण, यद्यपि वे एसपीवी की कस्टडी व उपयोग में हो; संपूर्णत: राज्य सरकार की सम्पत्ति होंगे।

13. एसपीवी, न्यूनतम दस वर्ष की अवधि के लिए सीएफसी के सभी संयंत्रों, मशीनरी, फिक्सर्चज और उपस्करों को अपनी स्वयं की लागत से बीमाकृत करेगा और सुरक्षित रखेगा। ऐसे संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर्ज तथा उपस्करों आदि की हानि अथवा क्षति होने के मामले में बीमा राशि राज्य सरकार को देय होगी।

14. एसपीवी स्वीकृति पत्र की सभी शर्तों और नियमों का अनुपालन करेगा।

15. एसपीवी का प्रबंधन एवं एसएफसी का प्रचालन भारत सरकार के दिनांक.....के दिशा-निर्देशों, जो इस करार का अंश समझे जाएंगे, के अनुसार होगा।

16. एसपीवी, ऐसे सारे धन को जिसकी अभी आवश्यकता नहीं हो, भारत के किसी अनुसूचित बैंक में ब्याज अर्जित जमा खाते में रखेगा।

17. एसपीवी के अथवा इसकी किसी परिसंपत्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार के परिशोधन अथवा दिवालिया कार्रवाई अथवा किसी अकिंचित संकट समय संबंधी कार्रवाई की स्थिति में, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की अनुदान सहायता में से सीएफसी के प्रापण (खरीद) किए गए संयंत्रों, मशीनरी, फिक्सचर्ज और उपस्करों को ऐसी कार्रवाई से अलग रखा जाएगा और ऐसी स्थिति में भारत सरकार एसपीवी का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है तथा वह भारत अपना कोई

अधिकारी अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अर्ध-सरकारी या गैर-सरकारी निकाय के किसी अधिकारी को सीएफसी के प्रचालन हेतु नियुक्त कर सकती है।

18. एसपीवी यह निरूपित करती और आश्वस्त करती है कि :

(क) कि यह लागू विधि के तहत गठित की गई है और यह इस करार को करने का पूर्ण रूप से प्राधिकृत है।

(ख) कि यह करार अपने सभी प्रावधानों में इस पर बाध्यकारी है।

(ग) कि यह ठोस प्रबन्धकीय एवं व्यापारिक सिद्धांतों के आधार पर पारस्परिक सहयोग पर कार्य करेगा तथा ऐसे कोई भी प्रबंधकीय परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, जो सीएफसी की सुचारू कार्यकलापों को विपरित रूप से प्रभावित करते हों।

(घ) कि यह संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर्ज और उपस्कर को भली-भांति कार्य करने की स्थिति में रखेगा तथा सभी निवारक और उपचारात्मक रख-रखाव करेगा तथा इनका अनुरक्षण करेगा और बीमा करवाएगा।

(ङ) कि भारत सरकार की सहायता अथवा राज्य सरकार के अनुदान सहायता से खरीदे गए संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर्ज और उपस्कर राज्य सरकार की संपत्ति है तथा किसी भी कारण से एसपीवी उक्त संयंत्र, मशीनरी फिक्सचर्ज और उपस्कर को अथवा इसके किसी हिस्से को न बेचेगा, न बंधक रखेगा अथवा न ही रहन रखेगा, न कोई प्रभाव लेगा (अर्थात उक्त संयंत्र, मशीनरी, फिक्सचर्ज तथा उपस्करों को) अथवा किसी हस्तांतरण के लिए उन के समक्ष कोई ऋणभार सृजित करेगा।

(च) यह कि एसपीवी, एसपीवी के बेहतर प्रबंधन के लिए अथवा सीएफसी के बेहतर प्रचालन के लिए समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करेगा।

(छ) यह कि एसपीवी यह स्वीकार करता है कि एमएसई-सीडीपी सीएफसी की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत की ओर केवल एकमुश्त अनुदान प्रदान करता है तथा चालू खर्चों अथवा पूंजीगत परिसंपत्तियों के पुर्नस्थापन, नवीकरण अथवा विस्तार के लिए कोई सब्सिडी/अनुदान/सहायता पर विचार नहीं किया जाता।

(ज) यदि यह पाया जाता है किन्हीं भी अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना कि एसपीवी ने अनुदान राशि अथवा इसके किसी भाग का सीएफसी की स्थापना के लिए उपयोग नहीं किया है अथवा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से सीएफसी के लिए खरीदी गई किसी परिसंपत्तियों को बेचा है अथवा किसी को दे दी है, भारत सरकार को एसपीवी और/अथवा इसके प्रबंधन से संयुक्त रूप से अथवा अनेक रूप से जुड़े व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में हानि की राशि उगाहने का हक होगा।

19. इस करार से संबंधित अथवा संबद्ध किसी भी विवाद उठने पर अथवा मतभेद पैदा होने पर अन्यथा जिनके लिए प्रगामी अनुच्छेद में प्रावधान न किया गया हो, ऐसे मामलों को सचिव, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली (विधि सचिव) द्वारा नामित एक मात्र मध्यस्थ के माध्यम से मध्यस्थ-निर्णय द्वारा निपटाया जाएगा। विवाचन एवं समाधान अधिनियम 1996 के प्रावधान मध्यस्थता-कार्रवाई पर लागू होंगे। ऐसे सभी मामलों में दिल्ली के न्यायालय को समग्र अधिकार होंगे।

20. एसपीवी द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन करने पर अथवा स्वीकृति पत्र अथवा भारत सरकार के दिशानिर्देशों की अनदेखी करने पर जिनका कि भारत सरकार द्वारा नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर प्रतिकार नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जितने समय के लिए भारत सरकार राज्य सरकार के परामर्श से एसपीवी का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है अथवा इसे राज्य सरकार, किसी अर्ध-सरकारी अथवा गैर-सरकारी निकाय को सौंप सकती है, ताकि सीएफसी का समुचित प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में एसपीवी को सीएफसी में किए गए किसी निवेश अथवा प्रबन्धन में दावेदारी का अधिकार नहीं होगा।

21. इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान की अवैधता अथवा अप्रवर्तनीयता बाकी प्रावधानों की वैधता और प्रर्वतनीयता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी, जो कि पूर्णत: लागू रहेंगे।

22. एसपीवी द्वारा कड़े निष्पादन पर जोर देने में अथवा एसपीवी के समक्ष कार्रवाई करने में अथवा समय प्रदान करने में भारत सरकार द्वारा किसी अन्य दण्डमोचन में भारत सरकार की ओर से चूक अथवा देरी को कोई उल्लंघन या छूट नहीं समझा जाएगा और कोई उल्लंघन के किसी समय पर छूट को भी अन्य अवसरों के अथवा अन्य उल्लंघनों के लिए छूट नहीं समझा जाएगा।

23. इस करार में कोई भी संशोधन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि लिखित में न दर्शाया गया हो और सभी पार्टियों द्वारा पूर्णत: हस्ताक्षरित न हो।

24. यह करार भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की एसपीवी के साथ कोई हिस्सेदारी नहीं बनाता न ही यह करार एसपीवी अथवा इसके एसपीवी के कर्मचारियों, एजेंटों अथवा ठेकेदारों की किसी क्रिया, त्रुटि, लापरवाही अथवा उनके द्वारा वहन की गई किसी चोट अथवा उनके द्वारा सीएफसी की कार्य-प्रणाली के संबंध में की गई किसी हकदारी आदि के लिए उत्तरदायी है।

1. भारत सरकार का ..... (प्रतिनिधि)
2. राज्य/संघ सरकार का ..... (प्रतिनिधि)
3. विशेष प्रयोजन साधनन ..... (प्रतिनिधि)

अनुबंध-4

नए स्थलों के लिए मूलभूत अवस्थापना विकास के लिए परियोजना लागत का ब्यौरा

क्रम सं.	मदें		लाख रुपये में	
1.	**भूमि विकास और अन्य ऊपरी मूलभूत संरचना**			
	(i)	भूमि की भराई/समतल तथा चारदीवारी/फैंसिंग की लागत	100	
	(ii)	सड़कें बिछाने की लागत	200	
	(iii)	सड़क किनारे हरियाली और सामाजिक वनखंड	10	
	(iv)	ऊपरी टैंकों और पम्प हाउसिस सहित जल आपूर्ति	110	
	(v)	जल हारवेस्टिंग	10	
	(vi)	निकासी	60	
	(vii)	बिजली (स्ट्रीट-लाइट सहित उप केन्द्र तथा वितरण नेट-वर्क), गैर-पारंपरिक ऊर्जा का सृजन	250	
	(viii)	अन्य (स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि)	10	
		कुल योग		**750**
2.	**प्रशासनिक एवं अन्य सेवाएं काम्पलेक्स**			
	(i)	प्रशासनिक कार्यालय भवन	20	
	(ii)	दूर-संचार/साइबर केन्द्र/प्रलेखन केन्द्र	20	
	(iii)	सम्मेलन कक्ष/प्रदर्शनी केन्द्र	30	
	(iv)	बैंक/डाकघर	20	
	(v)	कच्चा माल भंडारण सुविधा, विपणन निर्गम केन्द्र	40	
	(vi)	प्राथमिक सहायता केन्द्र, क्रेच, कैंटीन सुविधाएं	20	
		कुल योग		**150**
3.	**एफल्युऐन्ट उपचार सुविधा**			**80**
4.	**संभाव्यता एवं पूर्व-प्रचालन खर्च**			**20**
		सकल योग		**1000**

(भारत के राजपत्र, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

'ए' विंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2010

अधिसूचना

सं. 1 (17)/एसआईसीडीपी/क्लस्टर/टीएम/2006-केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के दिशानिर्देशों में संशोधनों का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 303.63 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से कार्यान्वित की जाती रहेगी। योजना का उद्देश्य सॉफ्ट इंटरवेंशन (तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, एक्सपोसर दौरों, बाजार विकास, विश्वास निर्माण, आदि) हार्ड इंटरवेंशन (परीक्षण, डिजाईन केन्द्र, उत्पादन केन्द्र, एफल्युऐन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कच्चा माल बैंक/बिक्री केन्द्र, उत्पाद प्रदर्शन केन्द्र, सूचना केन्द्र आदि हेतु सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना) तथा अवस्थापना विकास (भूमि का विकास, जल आपूर्ति की व्यवस्था, निकासी, विद्युत वितरण, सामान्य कैपटिव उपयोग हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों, सड़कों का निर्माण, प्राथमिक उपचार केन्द्र, कैन्टीन आदि जैसी सामान्य सुविधाओं आदि) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है।

2. योजना का ब्यौरा तथा संशोधित दिशानिर्देश विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय की वेबसाईट अर्थात www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।

10/2/2010

(हुकुम सिंह मीणा)

संयुक्त विकास आयुक्त

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

(भारत सरकार प्रेस), फरीदाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
2. सभी उद्योग आयुक्त/निदेशक (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. एमएसई-सीडीपी की संचालन समिति के सदस्य
4. सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
5. योजना आयोग (पीएएमडी, वीएसई)
6. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आईएफ विंग (वित्त-I), एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन
7. मुख्य लेखा आयुक्त, डीआईपीपी, उद्योग भवन
8. बजट एवं लेखा अनुभाग, वि.आ. (एमएसएमई) का कार्यालय
9. सभी निदेशक, एमएसएमई-डीआई/निदेशक, एमएसएमई परीक्षण केन्द्र/एमएसएमई-डीआई की सभी शाखाएं
10. वि.आ. (एमएसएमई) कार्यालय में आंतरिक परिचालन

10/2/2010

(हुकुम सिंह मीणा)

संयुक्त विकास आयुक्त

सं. 1 (17)/एसआईसीडीपी/क्लस्टर/टीएम 2006
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
क्लस्टर विकास प्रभाग

निर्माण भवन
नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2010

विषय : सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के दिशानिर्देशों में संशोधन

सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम में संशोधनों को अनुमोदित किया है। संशोधित दिशानिर्देश क्लस्टर विकास के लिए टीएम/यूएनडी/2005, दिनांक 14 मार्च, 2006 और आधारभूत संरचना विकास के लिए 2(1)/90-योजना, दिनांक 7 मार्च 1994 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों, जिनमें इन संबंधों में उत्तरवर्ती स्पष्टीकरण/आदेश शामिल हैं, के अधिक्रमण में हैं।

2. **योजना के उद्देश्य :**

(i) प्रौद्योगिकी के सुधार , कौशल एवं गुणवत्ता, बाजार तक पहुंच, पूंजी सुविधा, आदि जैसी सामान्य समस्याओं का समाधान करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की निरंतरता एवं विकास को सहयोग देना।

(ii) स्व-सहायता संघों के गठन, संघों के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य सहयोगी कार्रवाई हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना।

(iii) नवीन/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लस्टरों में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन करना।

(iv) परीक्षण, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो, इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट, पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं, आदि के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना।

3. **नैदानिक अध्ययन :** एक क्लस्टर के लिए नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार करने के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये का भारत सरकार (जीओआई) अनुदान प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्र संगठनों के लिए, यह वित्तीय सहायता 1 लाख रुपये होगी।

4. **सॉफ्ट इंटरवेंशन :** परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपये प्रति क्लस्टर होगी। सॉफ्ट इंटरवेशनों के लिए भारत सरकार का अनुदान संस्वीकृत परियोजना लागत राशि का 75 प्रतिशत होगा। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत होगा। परियोजना की लागत को क्लस्टर के परिमाप/कुल उत्पादन के अनुसार किफायती बनाया जाएगा। क्लस्टर लाभार्थियों की हिस्सेदारी यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए परंतु सॉफ्ट इंटरवेंशनों की कुल लागत के 10 प्रतिशत से कम न हो। सॉफ्ट इंटरवेंशनों की अवधि अधिकतम 18 माह होगी।

5. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) :** सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाइयों के क्लस्टर के लिए तथा/अथवा मौजूदा औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र/क्लस्टर में वर्तमान अवस्थापना के उन्नयन के लिए अथवा नवीन औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र हेतु अवस्थापना विकास परियोजना के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकतम 5.00 लाख रुपये का भारत सरकार का अनुदान प्रदान किया जाएगा। संस्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जाएगा। डीपीआर का मूल्यांकन एक बैंक (यदि बैंक वित्त पोषण शामिल है)/स्वायत्त तकनीकी परामर्श संगठन/सिडबी द्वारा किया जाना चाहिए

6. **हार्ड इंटरवेंशन : (सीएफसी की स्थापना)** : भारत सरकार के अनुदान को अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्षम/ग्रामीण (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले क्लस्टरों में सीएफसी के लिए 90 प्रतिशत होगा। विषेश प्रयोजन साधनन (एसपीवी) के सदस्यों के रूप में कार्यरत कम से कम 20 एमएसई कलस्टर ईकाईयां सदस्य होनी चाहिए। सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं हैं। विषेश मामलों में जहां क्लस्टर का निवेश, प्रद्यौगिकि अथवा लघु परिमाप, आदि ईकाईयों की न्यून संख्या के लिए आवश्यक है, एसपीवी के लिए न्यूनतम 10 एमएसई ईकाईयों पर विचार किया जा सकता है।

7. **अवस्थापना विकास :** भारत सरकार का अनुदान 10.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं में परियोजनाओं हेतु 80 प्रतिशत होगा।

8. **कार्यान्वयन एजेंसियां :**

कार्यकलाप	**कार्यान्वयन एजेंसी**
निदानात्मक अध्ययन	• एमएसएमई मंत्रालय के कार्यालय • राज्य सरकारों के कार्यालय • एमएसई क्षेत्र के विकास से संबद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं • एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था/एजेंसी
सॉफ्ट इंटरवेंशन	
सीएफसी की स्थापना	
अवस्थापना विकास परियोजनाएं	ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक अच्छे रिकार्ड रखने वाली किसी उपयुक्त राज्य सरकार एजेंसी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें

9. **परियोजना अनुमोदन :** योजना के तहत एमएसई-सीडीपी की संचालन समिति द्वारा प्रस्तावों पर अनुमोदनार्थ विचार करेगी। संचालन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

(i) सचिव (एमएसएमई) -अध्यक्ष
(ii) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
(iii) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
(iv) सलाहकार (वीएसआई), योजना आयोग
(v) संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय
(vi) सिडबी का प्रतिनिधि
(vii) अपर विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त/निदेशक-योजना प्रभारी-सदस्य सचिव
(viii) संबंधित उद्योग संघ (ओं) का प्रतिनिधि
(ix) विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि (वित्तीय संस्थाएं, कार्यक्रम प्रबंधन सेवा प्रदाता, मूल्यांकन एजेंसी का प्रतिनिधि, आदि)

9.1 हार्ड इंटरवेंशनों (सीएफसी) तथा अवस्थापना विकास परियोजनाओं को दो चरणों में अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। सिद्धांत रूप से अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन।

9.1.1 **सिद्धांत रूप से अनुमोदन :** सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। तथापि, एमएसएमई मंत्रालय की संस्थाएं सॉफ्ट इंटरवेंशनों/डीएसआर/डीपीआर के लिए सीधे विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को प्रस्ताव भेज सकती है। अवस्थापना विकास परियोजनाओं/तत्संबंधी डीपीआर के मामले में, राज्य सरकार विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। सिद्धांत रूप से अनुमोदन 6 महीने की अवधि तक वैद्य रहेगा और इससे पहले यह अपेक्षा की जाती है कि परियोजना अंतिम अनुमोदन के लिए तैयार हो जाएगी।

9.1.2 **अंतिम अनुमोदन :** सिद्धांत रूप से अनुमोदित परियोजनाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा:

(i) **सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)**

(क) एसपीवी का गठन तथा आपस में विश्वास कायम होना। एसपीवी की भूमिका तथा कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ख) भूमि का अधिग्रहण तथा एस.पी.वी. के नाम पर पंजीकरण।

(ग) मूल्यांकित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(घ) एसपीवी के शेयर धारण का ब्यौरा।

(ङ) शूड्यूल्ड 'ए' बैंक में परियोजना विशिष्ट लेखा।

(ii) **अवस्थापना विकास परियोजनाएं**

(क) अनुमोदित ले-आउट प्लान सहित मूल्यांकित डीपीआर प्रस्तुत करना।

(ख) जल, बिजली, संचार आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित अपेक्षित परिमाप की उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की पुष्टि। भूमि का स्पष्ट शीर्षक सहित तथा क्षेत्रीय विनियमों का पालन करते हुए और गैर-कृषि अंतरण आदि सहित कार्यान्वयन एजेंसी के नाम पर अधिग्रहण होना चाहिए।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का समेकन तथा मॉनीटरिंग हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन।

10. **मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन खर्चे :** मुख्यत: विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय में संस्वीकृत निधियों के लिए कुल बजट परिव्यय के 2 प्रतिशत की दर से निगरानी और प्रबंधन व्यय को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा।

(i) पीएमएस/विशेषज्ञ/डीएसआर/डीपीआर तैयार करने के लिए सुविज्ञ अभिकरणों, क्लस्टर विकास इत्यादि में संलग्न अभिकरणों के पैनल तैयार करना।

(ii) डाटा प्रबंधन, विशिष्ट रिपोर्टों तथा प्रबोधन एवं प्रबंधन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर के विकास हेतु

(iii) एमएसई-सीडीपी संबंधी दूर-संचार तथा लेखन-सामग्री खर्चों हेतु

(iv) एमएसई-सीडीपी गतिविधियों के प्रबोधन हेतु विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय में क्लस्टर कक्ष अधिकारियों के यात्रा/उद्घाटन दौरों हेतु

(v) संचालन समिति जैसी बैठकों के आयोजन हेतु

(vi) फोटोकॉपीयर जैसे स्वचालित कार्यालय उपकरणों की खरीद, रख-रखाव हेतु

(vii) डाटा-प्रबंधन सेवाओं की आउट-सोर्सिंग हेतु

11. **राष्ट्र स्तरीय विविध गतिविधियां :** (प्रशिक्षण/राष्ट्रीय वर्कशाप आयोजित करने/क्लस्टर संबंधी सामग्री के प्रकाशन, अध्ययन सामग्री तैयार करने, मुख्यालय से अधिकारियों की प्रतिस्थापना, विशेष अध्ययन इत्यादि जैसी) गतिविधियां, सामर्थी संसाधन केन्द्रों की स्थापना आदि जो कि क्लस्टर विशिष्ट कार्य-योजनाओं के भाग नहीं हैं, परंतु जो स्कीम के संवर्द्धन से सीधे

संबंधित हैं और एक वर्ष विशेष में कुल क्लस्टर विकास 5 प्रतिशत के अधीन संचालन समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं, को भी अनुमति दी जाएगी। जब कभी भी अपेक्षित होगा, कार्यान्वयन अभिकरणों, एसपीवी तथा अन्य स्टेक होल्डरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

12. **अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से क्लस्टर विकास :** यूएनआईडीओ, जीटीजेड, डीएफआईडी इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से संयुक्त क्लस्टर विकास कार्यक्रमों के लिए अंशदान पर विनिर्दिष्ट मानकों में ढील देते हुए संचालन समिति द्वारा विचार किया जाए।

13. क्लस्टर विकास और आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं के लिए मौजूदा अनुमोदित प्रस्तावों को मूल अनुमोदन/संस्वीकृति के अनुसार समर्थन देना जारी रखा जाएगा। सभी भावी प्रस्ताव संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप भेजे जाने चाहिए।

14. **योजना के लिए दिशानिर्देश :** योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश संलग्न हैं और ये विकास आयुक्त (एमएसएमई) की वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

10/2/2012

(हुकुम सिंह मीणा)
संयुक्त विकास आयुक्त
011-23062694

प्रति –

1. कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन
2. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. मुख्य सचिव (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
4. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आईएफ विंग (फाइनेंस I) आईपीपी विभाग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
5. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन
6. सीईओ, केवीआईसी
7. अध्यक्ष, एनएसआईसी
8. सीएमडी, सिडबी
9. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
10. सभी निदेशक, एमएसएमई-डीआई/निदेशक, एमएसएमई परीक्षण केंद्र/सभी शाखा एमएसएमई-डीआई
11. मुख्य निदेशक (विकास आयुक्त-एमएसएमई के तहत सभी स्वायत्त निकाय)
12. महानिदेशक, एनआईएमएसएमई, हैदराबाद
13. निदेशक, ईडीआईआई, अहमदाबाद
14. कार्यकारी निदेशक, निसबड
15. आईआईई, गुवाहाटी
16. अध्यक्ष, कॅयर बोर्ड
17. अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तरीय उद्योग संघ
18. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग संघ
19. मंत्री (एमएसएमई) के निजी सचिव
20. सचिव (एमएसएमई) के प्रधान निजी सचिव
21. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) के निजी सचिव

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

विकास आयुक्त
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
wwww.dcmsme.gov.in

उद्यमी हेल्पलाइन नं.: 1800-180-6763 (टोल फ्री)